राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एनएचएम/एचआर/कोविड–19/8264-A भोपाल, दिनांक 29/06/2020

प्रति,

समस्त अधिष्ठाता,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषयः–कोविड–19 महामारी की रोकथाम के लिये अस्थायी मानव संसाधन के मासिक मानदेय हेतु बजट आवंटन के संबंध में।

संदर्भः–शासन का परिपत्र कमांक एफ–10–09/2020, दिनांक 26/6/2020

****

कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्थायी कर्मचारियों के मासिक मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि का आवंटन आपके मदों में ई–वित्त के माध्यम से संलग्न बजट पत्रक एवं गणना पत्रक के आधार पर किया गया है। उक्त राशि से 30 जून 2020 तक का मासिक मानदेय आहरण कर संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किया जावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र कमांक एफ–10–09/2020, दिनांक 26/6/2020 द्वारा कोविड–19 के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्त मानव संसाधन की अवधि 30/जून/2020 के उपरान्त उपरोक्त अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी के निर्देश जारी किये गए है। कोविड–19 महामारी नियत्रंण हेतु अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यता हो तो उक्त आशय का स्पष्ट युक्तिसंगत प्रस्ताव आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्रेषित किये जावे।

अतः कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यायोजित किये गए अधिकारों से बाहर जाकर पदों की विज्ञप्ति जारी की गई हो तो उसे तत्काल निरस्त करें, अन्यथा परिपत्रों में उल्लेखित दिशा–निर्देशों से बाहर जाकर की जाने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं उत्तरदायी नहीं होगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एनएचएम/एचआर/कोविड–19/8264-B भोपाल, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।

//निरन्तर//

6. समस्त संभागायुक्त,मध्यप्रदेश।
7. संचालक प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
8. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
9. अपर संचालक, आईडीएसपी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
10. प्रभारी कोविड–19 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
11. संचालक, वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र.।
12. समस्त कलेक्टर, सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति म.प्र.।
13. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
14. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
15. उप संचालक, आई.टी., एनएचएम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा, शहडोल, रतलाम, शिवपुरी, खण्डवा एवं छिंदवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी मानव संसाधन के मासिक मानदेय हेतु राशि ई–वित्त के माध्यम से आपको आवंटित की गई है। आंवटित की गई राशि को उनके मद में हस्तांतरित करें एवं की गई कार्यवाही इस कार्यालय को अवगत करायें।
17. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश